न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (डीडवाना–कुचामन)

पीठासीन अधिकारी : श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादीः–

इन्द्रभानसिंह पुत्र विक्रमसिंह जाति राजपुत निवासी भांवता तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. सुरजभानसिंह पुत्र विक्रमसिंह जाति राजपुत निवासी भांवता तहसील नावां।
2. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार नावां (भूमिधारी) तहसील नावां।
3. पटवारी पटवार मण्डल भांवता तहसील भांवता।
4. सरपंच ग्राम पंचायत भांवता तहसील नावां।

दावा वास्ते रिकॉर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.एक्ट 1955 एवं 92ए आरएलआर एक्ट

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादी
श्री पुखराज सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

मुकदमा नम्बरः 101/2022 निर्णय दिनांकः– 15.12.2023

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही खानदान के सदस्य है एवं स्वर्गीय भवानीसिंह के वंशज एवं वारिसान है जिनका सजरा खानदान वाद पत्र में पेश किया। ग्राम भांवता तहसील नावां की सरहद में स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 62/1 रकबा 16 बीघा, खसरा नम्बर 62/2 रकबा 8 बीघा गै.मु. ओरण जो भवानीसिंह जागीरदार के नाम से दर्ज चली आ रही है। खसरा नम्बर 62/1, 62/2 के नवीन खसरा नम्बर 181, 182, 180 कायम हुए है जो कि गै.मु. ओरण रहा है। गत खसरा नम्बर 62/1, 62/2 किस्म गै.मु. ओरण स्वर्गीय भवानीसिंह जागीरदार के नाम से दर्ज चली आ रही थी जिसमें करणी माताजी का मंदिर बना हुआ है जो कि वक्त जागीदारी से ही बना हुआ है इस मंदिर के नाम से ही ओरण रखा हुआ है जो आज दिन भी मंदिर माताजी के नाम से ओरण दर्ज चला आ रहा है व माताजी के ओरण के प्रचलित चला आ रहा है। खसरा नम्बर 180 जो कि मंदिर श्री करणीमाता के नाम से दर्ज चली आ रही है व खसरा नम्बर 181, 182 जो कि गै.मु. ओरण चला आ रहा है जो कि सेटलमेंट कार्यवाही के दौरान खसरा नम्बर 181, 182 गै.मु. पायतन दर्ज हो गया जो कि गलत है। गत खसरा नम्बर 62/1, 62/2 से खसरा नम्बर 179, 180, 181, 182 कायम हुए है गत सेटलमेंट कार्यवाही से पूर्व उक्त भूमि गै.मु. ओरण माताजी मंदिर के नाम से दर्ज चली आ रही थी जो कि प्रथम कार्यवाही के दौरान गै.मु. पायतन दर्ज हो गयी जो कि गलत है इसलिए उक्त भूमि का रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर गै.मु. पायतन से गै.मु. ओरण दर्ज किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का दखल

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:41:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

इत्यादि नहीं डाले मौके की यथास्थिति बनाये रखे न ही किसी प्रकार का अतिक्रमण इत्यादि व चार दिवारी, तोड फोड नहीं करे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। राजस्व ग्राम भांवता तहसील नावां की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 62/1, 62/2 के नवीन खसरा नम्बर 181 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 182 रकबा 2.58 हैक्टर गै.मु. पायतन का रिकॉर्ड दुरूस्ती किया जाकर गै.मु. ओरण मंदिर श्री करणीमाता दर्ज किया जाने का आदेश प्रदान किया जावे इस आशय की रिकॉर्ड दुरूस्ती की डिक्री फरमाने एवं खसरा नम्बर 180, 181, 182 में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का दखल इत्यादि नहीं डोल, न ही चार दिवारी वगैरह हटाये इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री फरमाने की इस्तदुआ की।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन तलब किया गया। अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 3, 4 को स्ट्रक ऑफ करने का पेश किया जिसे सुना जाकर प्रतिवादी संख्या 4 को स्ट्रक ऑफ किया जाकर डिलीट किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 का तामील शुदा सम्मन प्राप्त। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री पुखराज सिंह ने इकबाली जवाब पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भांवता के खसरा नम्बर 62/1, 62/2 के नवीन खसरा नम्बर 181 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 182 रकबा 2.58 हैक्टर गै.मु. पायतन का रिकॉर्ड दुरूस्ती किया जाकर गै.मु. ओरण मंदिर श्री करणीमाता दर्ज किया जावे तो इसमें मुझ प्रतिवादी संख्या 1 को किसी प्रकार कोई आपत्ति नहीं है बल्कि मेरी पूर्ण सहमति है। प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार नावां ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम भांवता की खतौनी संवत 2008 में गत खसरा नम्बर 62/1 रकबा 16 बीघा किस्म गै.मु. अलावा फौत ना काबिल काश्त ओरण तथा खसरा नम्बर 62/2 रकबा 8 बिस्वा किस्म गै.मु. अलावा फौत ना काबिल काश्त मण्ड दर्ज रही है। राजस्व ग्राम भांवता के गत खसरा नम्बर 62/1 मीन व 62/2 मीन के नवीन खसरा नम्बर 182, 180 कायम हुए। राजस्व ग्राम भांवता के गत खसरा नम्बर 62/1 किस्म गै.मु. व जिमन ओरण दर्ज है। खसरा नम्बर 62/2 किस्म गै.मु. व जिमन मण्ड जमाबंदी संवत 2008 में दर्ज है। गत खसरा नम्बर के नवीन खसरा नम्बर 182 किस्म गै.मु. पायतन व खसरा नम्बर 181 किस्म गै.मु. पायतन जिमन सिवायचक नाकाबिल कास्त पायतन मिशल 2046–2065 में दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड मिलान अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है। अधिवक्ता श्री हरिराम गुर्जर ने आम जनता ग्राम भांवता की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया। अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस की। उभयपक्षकारान की बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी को खारिज किया गया। साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू.1 वादी का मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किये। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति पेश किया जो प्रदर्श पी1 है, जमाबंदी संवत 2008 की प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श पी2 है, जमाबंदी संवत 2046 से 2049 की प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श पी3 है, जमाबंदी संवत 2038 से 2041 की प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श पी4 है, जमाबंदी संवत [illegible] 2034 की प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श पी5 है। ओर साक्ष्य वादी [illegible] वादी बंद की गई।

अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर [illegible]

उपरोक्त विवेचनानुसार तहसीलदार नावां की रिपोर्ट एवं पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदियों के अवलोकन से राजस्व ग्राम भांवता के गत खसरा नम्बर 62/1, 62/2 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:41:15 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

जमांबदी संवत 2008 के कॉलम संख्या 4 नाम मालिक हासिल में वल्दीयत, कौमियत व सकूनत में भवानी सिंह जागीरदार दर्ज है एवं कॉलम संख्या 5 नाम काश्तकार व शिकमी मय वल्दियत, कौमियत व सकूनत में खसरा नम्बर 62/1 में ओरण एवं खसरा नम्बर 62/2 में मन्ड दर्ज है तथा कॉलम 7 किस्म जमीन मय रकबा में गै.मु. एवं कॉलम संख्या 10 में खसरा नम्बर 62/1 का 16 बीघा व खसरा नम्बर 62/2 का 8 बिस्वा रकबा दर्ज है। जमाबंदी संवत 2011 से 2014 में कॉलम 5 नाम कृषक विवरण सहित और कृषि काज में खसरा नम्बर 62/1 में ओरण अंकित है तथा भूमि का प्रकार कॉलम में गै.मु. दर्ज है। जमाबंदी संवत 2015 से 2022 व जमाबंदी संवत 2023 से 2026, जमाबंदी संवत 2031 से 2034 में खसरा नम्बर 62/1 में भूमि का प्रकार ओरण दर्ज चला आ रहा है। जमाबंदी संवत 2034 से 2037 में खसरा नम्बर 62/1 में भूमि का प्रकार पायतन दर्ज कर दिया गया। मिलान क्षैत्रफल के अवलोकन से गत खसरा नम्बर 62/1 मीन के नवीन खसरा नम्बर 181, 182 कायम हुए। चालू जमाबंदी में गत खसरा नम्बर 62/1 के नवीन खसरा नम्बर 181, 182 की किस्म गै.मु. पायतन दर्ज है। इस प्रकार तहसीलदार नावां की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से संवत 2008 से लगातार संवत 2034 तक गत खसरा नम्बर 62/1 की किस्म गै.मु. ओरण दर्ज रही। जिसके पश्चात गत खसरा नम्बर 62/1 नवीन खसरा नम्बर 181, 182 की किस्म गै.मु. पायतन दर्ज कर दी गई। इसलिए तहसीलदार नावां की रिपोर्ट एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर गत खसरा नम्बर 62/1 के नवीन खसरा नम्बर 181, 182 की किस्म गै.मु. पायतन के स्थान पर गै.मु. ओरण दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम भांवता के गत खसरा नम्बर 62/1 के नवीन खसरा नम्बर 181 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 182 रकबा 2.58 हैक्टर भूमि में तहसीलदार नावां की रिपोर्ट एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर नवीन खसरा नम्बर 181, 182 की किस्म गै.मु. पायतन के स्थान पर गै.मु. ओरण घोषित की जाती है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 15.12.2023 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:41:15 IST
Reason: SelfAttested

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

अदालतः— **उपखण्ड अधिकारी नावां, जिला डीडवाना—कुचामन, राज.**
अज अदालत :— श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादीः—

इन्द्रभानसिंह पुत्र विक्रमसिंह जाति राजपुत निवासी भांवता तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादीगणः—

1. सुरजभानसिंह पुत्र विक्रमसिंह जाति राजपुत निवासी भांवता तहसील नावां।
2. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार नावां (भूमिधारी) तहसील नावां।
3. पटवारी पटवार मण्डल भांवता तहसील भांवता।
4. सरपंच ग्राम पंचायत भांवता तहसील नावां।

मुकदमां नम्बर :— 101/2022 **निर्णय दिनांक :—** 15.12.2023

इनफिसाल कतई रूबरू.....बहाजरी श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादी एवं श्री पुखराज सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 को डिक्री दी जाती हैं कि :—

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम भांवता के गत खसरा नम्बर 62/1 के नवीन खसरा नम्बर 181 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 182 रकबा 2.58 हैक्टर भूमि में तहसीलदार नावां की रिपोर्ट एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर नवीन खसरा नम्बर 181, 182 की किस्म गै.मु. पायतन के स्थान पर गै.मु. ओरण घोषित की जाती है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। तहरीर जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15.12.2023 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखतः

ओहदा : उपखण्ड अधिकारी, नावां

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL	स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL
मीलान	NIL	NIL	मीजान	NIL	NIL

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:41:15 IST
Reason: SelfAttested